सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

माननीय प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनाँक 28 मार्च, 2025 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 60वीं बैठक दिनाँक 28 मार्च, 2025 को अपरान्ह 12:30 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही हैः–

1. डा0 के0के0 सिंह, कुलपति — **अध्यक्ष**
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य, विधान परिषद — **सदस्य**
3. श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक — **सदस्य**
4. श्री ओम प्रकाश वर्मा, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ। — **सदस्य**
   (प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि)
5. डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली। — **सदस्य**
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
6. श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक — **सदस्य**
7. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, — **सदस्य**
   मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)।
8. डा0 सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक — **सदस्य**
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
9. श्री अशोक कुमार यादव, संयुक्त निदेशक, कृषि — **सदस्य**
   मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)।
10. डा0 मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ — **सदस्य**
    (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)–(ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
11. डा0 मनोज कुमार अग्रवाल, अपर निदेशक, पशुपालन, — **सदस्य**
    मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)
12. श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, वित्त नियंत्रक — **सदस्य सचिव**

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक, सदस्य सचिव द्वारा विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, मेरठ-2501

प्रस्ताव संख्या 60.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 59वीं बैठक दिनाँक 10 फरवरी, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 60.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 59वीं बैठक दिनाँक 10 फरवरी, 2025 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2025 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 60.3 : डा0 रामजी सिंह, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग (कृषि महाविद्यालय) द्वारा पूर्व में दिनांक 12.02.2002 से दिनांक 28.03.2008 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) में सह–प्राध्यापक (पादप रोग विज्ञान) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु जोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में कार्यरत डा0 रामजी सिंह, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 12.02.2002 से दिनांक 28.03.2008 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) में सह–प्राध्यापक (पादप रोग विज्ञान) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु जोड़ने के सम्बन्ध में विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि डा0 रामजी सिंह, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग (कृषि महाविद्यालय) द्वारा की गयी पूर्व की सेवाओं को सत्यापित करा लिया जाये।

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स० वल्लभ भाई प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में कार्यरत डा0 रामजी सिंह, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 12.02.2002 से दिनांक 28.03.2008 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) में सह–प्राध्यापक (पादप रोग विज्ञान) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु जोड़ने के सम्बन्ध में डा0 रामजी सिंह, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग के अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या सवप/2023/ नि0प्र0अनु0/ 11855 दिनांक 27. 02.2023 द्वारा निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) ए0एन0डी0यू0 ए0टी0– 07/स्था0–2/ व्य0/2025/2422 दिनांक 03.02. 2025 द्वारा डा0 रामजी सिंह की सेवाओं का सत्यापन करते हुए सेवा पुस्तिका सहित अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराये गये है, जिसमें उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 1/2019/सा–3–346/दस–2019–933 /89 दिनांक 30.04.2019 के साथ संलग्न सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए सेवाओं को जोड़े जाने का प्रारूप–पत्र में दिनांक 12.02.2002 से दिनांक 28.03.2008 तक की सेवायें सत्यापित कर प्रेषित की है। शासनादेश संख्या– 1/2019/सा–3–346/ दस–2019–933 /89 दिनांक 30. 04.2019 के साथ सहपठित शासनादेश संख्या सी0एम0–64/ 128–98–4001/44/95 दिनांक 16.09.1998 जो कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उधमसिंह नगर/कानपुर/कुमारगंज, फैजाबाद के लिए जारी है, जिसके अनुसार जिन संस्थाओं की पूर्व में की गयी सेवायें जोड़ी जानी हो, वह सेवा पेंशनुबल हो तथा पेंशन देने का दायित्व राज्य

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

सरकार का हो। उपरोक्त शर्तों के अधीन एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में की गयी सेवाओं की गणना दूसरी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में की जा सकती है। पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होगें जो, नियमित रूप से चयनित हो तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हो। डा0 रामजी सिंह की नियुक्ति सह–प्राध्यापक, वेतनमान रू0 12000–420–18300 में नियमित रूप में हुई थी एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में नियुक्ति की स्थिति में कोई व्यवधान उत्पन्न नही हुआ तथा इनके सामान्य भविष्य निधि की कटौती नियमित रूप में की जा रही थी।

जिसपर विश्वविद्यालय की माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा डा0 रामजी सिंह, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग (कृषि महाविद्यालय) द्वारा पूर्व में दिनांक 12.02.2002 से दिनांक 28.03.2008 तक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) में सह–प्राध्यापक (पादप रोग विज्ञान) के पद पर दी गयी सेवाओं को पेंशन आगणन हेतु अर्ह सेवा के निमित आगणित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 60.4 : विश्वविद्यालय के तकनीकी महाविद्यालय, कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय तथा उद्यान महाविद्यालय के विभिन्न पदों पर हुये साक्षात्कार के लिफाफे खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।

कृपया विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय के तकनीकी महाविद्यालय, कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय एवं उद्यान महाविद्यालय के प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या–II/2023, III/2023 एवं IV/2023 के अन्तर्गत

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो० विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

विज्ञापित हुए पदो के सापेक्ष साक्षात्कारों/इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों की सहमति उपरांत विश्वविद्यालय के तकनीकी महाविद्यालय, कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय तथा उद्यान महाविद्यालय के रिक्त एवं शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर हुए साक्षात्कार के उपरान्त चयनित कुल 13 अभ्यर्थियों के बन्द लिफाफों को खोले जाने तथा नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या 60.5 : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना 06 मार्च, 2019 को कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत Veterinary Council of India द्वारा अधिसूचना–2019 जारी की गयी है, जिसमें पशुचिकित्सा महाविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विभागों के हिन्दी नामों का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में विज्ञापित किये जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने हेतु विभागों के हिन्दी नामों की गणना हेतु Veterinary Council of India द्वारा अधिसूचना–2019 को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा कोई नियमावली जारी की गयी है अथवा नही, इसकी पुष्टि कर ली जाये।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो० विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

प्रस्ताव संख्या 60.6 : विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 94वीं बैठक दिनांक 21.03.2025 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 94वीं बैठक दिनांक 21.03.2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 60.7 : विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 28.03. 2025 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृपया विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 28.03.2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 60.8 : विश्वविद्यालय के विज्ञापित विज्ञापन संख्या I/2023 को निरस्त किये जाने के संबंध में।

कृपया विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय वर्ष 2023 में विज्ञापन संख्या **I/2023** जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शोध निदेशालय हेतु निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र 01 पद एवं संयुक्त निदेशक 01 पद तथा प्रसार निदेशालय के लिये संयुक्त निदेशक 01 पद विज्ञापित किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या I/2023 में अधिक आवेदन पत्र प्राप्त न होने तथा विज्ञापन को अधिक समय होने के कारण विज्ञापन संख्या I/2023 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

अतः माननीय प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 में विज्ञापित विज्ञापन संख्या I/2023 को निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापन विज्ञापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 60.9 : विश्वविद्यालय चिकित्सालय पर महिला कांट्रेक्ट पर रखे जाने की योग्यता एवं मानदेय में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय चिकित्सालय हेतु एक महिला चिकित्सक को कांट्रेक्ट पर रखे जाने हेतु योग्यता एवं मानदेय पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1– अंशकालिक महिला चिकित्सक की योग्यता में आंशिक संशोधन करते हुए MBBS/BAMS अथवा उच्चतर डिग्री एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा परिषद में पंजीकरण।

2– अंशकालिक महिला चिकित्सक को सप्ताह में तीन दिन परामर्श प्रदान करने हेतु प्रतिमाह रू0 20000/– (रू0 बीस हजार) मात्र का भुगतान किया जाये।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/ प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय चिकित्सालय)

प्रस्ताव संख्या 60.10 : कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों के मानदेय में वृद्धि।

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को रू0 4500/– के

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0 विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

स्थान पर मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक से रू0 7000/- नियत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

वित्त नियन्त्रक द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

28/03/25

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध समिति

वित्त नियन्त्रक
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

अनुमोदित

28/03/25

(डा0 के0के0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110